

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. २४५०७-वि.स.-विधान-२०११.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम ५९ के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०११ (क्रमांक ४१ सन् २०११) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४१ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ६) विधेयक, २०११

३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०११ है.

३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ४,०७,४५,८२,९५३ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग चार सौ सात करोड़ पैंतालीस लाख बयासी हजार नौ सौ तिरपन रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त (राशि रुपये में)	भारित (राशि रुपये में)	योग (राशि रुपये में)
	लोक ऋण (वित्त विभाग)			
	पूँजीगत		२,२१,५७,८५,८६९	२,२१,५७,८५,८६९
०८.	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन			
	राजस्व	१,५६,३१,३२७	०	१,५६,३१,३२७

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	४७,१७,२१,०८३	०	४७,१७,२१,०८३
	पूंजीगत	३९,०६,५६६	०	३९,०६,५६६
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	६१,८९,७५,०८२	०	६१,८९,७५,०८२
	पूंजीगत	१६,७८,९२८	०	१६,७८,९२८
३०. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	५१,२२,३७४	०	५१,२२,३७४
	पूंजीगत	२,३९,४२,०४४	०	२,३९,४२,०४४
३२. जनसंपर्क	राजस्व	१९,७,८४५	०	१९,७,८४५
	पूंजीगत	२४,१३,६४,६७०	०	२४,१३,६४,६७०
४२. लोक निर्माण से संबंधित आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-सड़कें एवं पुल	राजस्व	८८,९०,५९३	०	८८,९०,५९३
	पूंजीगत	२३,६८,३६०	०	२३,६८,३६०
४७. तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन	राजस्व	३९,१२,४१,६३७	०	३९,१२,४१,६३७
	पूंजीगत	४,७७,४४,७१६	०	४,७७,४४,७१६
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	४८,९०,५९३	०	४८,९०,५९३
	पूंजीगत	२३,६८,३६०	०	२३,६८,३६०
६०. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	राजस्व	३९,१२,४१,६३७	०	३९,१२,४१,६३७
	पूंजीगत	४,७७,४४,७१६	०	४,७७,४४,७१६
६३. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	राजस्व	३९,१२,४१,६३७	०	३९,१२,४१,६३७
	पूंजीगत	४,७७,४४,७१६	०	४,७७,४४,७१६
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	३९,१२,४१,६३७	०	३९,१२,४१,६३७
	पूंजीगत	४,७७,४४,७१६	०	४,७७,४४,७१६

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
७३. आवास एवं पर्यावरण विभाग (वृक्षारोपण, वनीकरण, पर्यावरण एवं पड़त भूमि के विकास से संबंधित व्यय)	पूंजीगत	२,६०,११,८५९	०	२,६०,११,८५९	
	योग :	राजस्व	१,७४,६४,२४,५३३	०	१,७४,६४,२४,५३३
		पूंजीगत	११,२३,७२,५५१	२,२१,५७,८५,८६९	२,३२,८१,५८,४२०
	वृहद योग :	१,८५,८७,९७,०८४	२,२१,५७,८५,८६९	४,०७,४५,८२,९५३	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २३ नवम्बर, २०११

राघवजी

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.